संख्या-156 /2025/।/1162835/2025/71-1002/18/2024

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 03 दिसम्बर, 2025**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र सहायतित योजनान्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु केन्द्रांश एवं मैचिंग राज्यांश की धनराशि एस0एन0ए0 स्पर्श प्लेटफार्म के माध्यम से हस्तांरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/निर्माण/2025-26/311, दिनांक 10.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु नामित कार्यदायी संस्था-यू0पी0 सिडको द्वारा तैयार किये गये डी0पी0आर0 लागत रू0 10.00 करोड़ की प्रति उपलब्ध कराते हुए पी0एफ0ए0डी0 से मूल्यांकित कराकर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-जेड-16015/2/2023-एन, दिनांक 28.04.2023 द्वारा केन्द्र सहायतित योजना "Establishment of new medical colleges attached with existing District/Referral hospitals" के अंतर्गत उ0प्र0 प्रदेश के 27 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में "Scheme for Augmenting Nursing Education-Establishment of new College of Nursing (CoN) in co-location with Medical College" के अंतर्गत नर्सिंग कालेज की स्थापना का निर्णय लिया गया। उक्त योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रति नर्सिंग कालेज की लागत रू0 10.00 करोड़ निर्धारित की गयी है, जिसका फण्डिग पैटर्न 60:40 (केन्द्रांश+राज्यांश) है। उक्त के क्रम में उप निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-जेड.28015/89/2023-एन, दिनांक 21.08.2023 द्वारा योजनान्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि प्रदान की गयी है। योजनान्तर्गत एस0एन0ए0 स्पर्श लागू हो गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सहायतित योजना " Augmenting Nursing Education-Establishment of new College of Nursing (CoN) in co-location with Medical College" के अंतर्गत **स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर में नर्सिंग**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कालेज की स्थापना हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत **रू0 993.35 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति** तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-01-28- राजकीय मेडिकल कालेज/स्वायत्त शासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज (के.60/रा.40-के.+रा.) मानक मद-24 वहत निर्माण कार्य में प्राविधानित बजट के सापेक्ष प्रश्नगत परियोजना हेतु **प्रथम किश्त के रूप में रू0 333.3333 लाख (केन्द्रांश रू0 200.00 लाख व राज्यांश रू0 133.3333 लाख) (रू0 तीन करोड़ तैंतीस लाख तैतीस हजार तीन सौ तीस मात्र)** की धनराशि एस0एन0ए0 स्पर्श प्लेटफार्म के माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के निर्वतन पर रक्षित किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. प्रयोजनान्तर्गत समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।
2. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के शासनादेश सं0-5/2021/File No 65-2013/2/2019-2 दिनांक 15.01.2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/बाधा रहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in India, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
3. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
4. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रकिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यो की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रु0 4.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। प्रभाग का मत है कि प्रधानाचार्य/कार्यदायी द्वारा विद्युत संयोजन हेतु विस्तृत आगणन यू0पी0पी0सी0एल0 से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जाये।
7. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रधानाचार्य/कार्यदायी का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही प्रधानाचार्य/कार्यदायी का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (consumed) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील/ग्रिट/मौरंग इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये। जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0- 2/2022/ई-8-202/दस-2022 दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

8. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाये।
9. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत् मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य का होगा।
10. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाए।
11. प्रायोजना में प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत मानते हुये प्रायोजना का परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
12. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
13. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
15. अवमुक्त की जा रही धनराशि को बैक एंव डाकघर में नहीं रखा जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।
16. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।
17. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग का उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
18. योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन्स का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
19. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों, वित्तीय नियमों, शर्तो व प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,33,33,330 (रुपये तीन करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ तीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050128 राजकीय मेडिकल कालेज/स्वायत्तशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज (के.60/रा.40-के.+रा.) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के एफआईएनआरएमएस सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-157 /दस-2025-26, दिनांक 19 नवम्बर, 2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

<u>संख्या व तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (नर्सिंग अनुभाग) भारत सरकार नई दिल्ली।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सिडको, लखनऊ।
7. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।